समाहरणालय, मधुबनी

(जिला स्थापना शाखा)

—: **आ दे श** :—

श्री गणेश मंडल, पिता—स्व0 सत्यदेव मंडल, ग्राम—कैटोला, पो0— शम्भुआर, अंचल—रहिका, जिला—मधुबनी के द्वारा हल्का सं0—7, मौजा—सलेमपुर का 5 (पाँच) केवाला का वर्ष 2006—2007 में दाखिल खारिज कर जमाबन्दी संख्या—492 कायम कर रसीद सं0—107093 निर्गत किया गया। जब आवेदक द्वारा वर्ष 2010—11 के वर्तमान कर्मचारी श्री त्रिवेणी झा के पास अद्यतन रसीद कटवाने के लिये गये तो श्री झा द्वारा आवेदक को बताया गया कि मो0 उमैर, राजस्व कर्मचारी द्वारा जमाबन्दी कायम नहीं किया गया है, फलस्वरूप श्री झा द्वारा आवेदक को रसीद निर्गत नहीं किया गया और श्री त्रिवेणी झा, राजस्व कर्मचारी द्वारा लिखित आवेदन दिया गया कि जमाबन्दी नम्बर 492 मो0 उमैर , राजस्व कर्मचारी द्वारा कायम नहीं किया गया है। जिसकी पंजी—।। का अवलोकन उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार, सदर, मधुबनी द्वारा भी किया गया। वर्णित एवं अन्य आरोप के लिये अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मधुबनी के पत्रांक 1222 दिनांक 23.07.2011 द्वारा मो0 उमैर, राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय रहिका के विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र—'क' में गठित कर ससाक्ष्य भेजी गयी।

अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मधुबनी के पत्रांक 1222 दिनांक 23.07.2011 द्वारा मो0 उमैर, राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय, रहिका के विरूद्ध वर्णित आरोप के आलोक में प्राप्त प्रपत्र—'क' पर विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 1167/जि0स्था0 दिनांक 23.08.2011 द्वारा अपर समाहर्त्ता, मधुबनी को संचालन पदाधिकारी तथा उपस्थापन पदाधिकारी के रूप में उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार, सदर, मधुबनी को नियुक्त करते हुये संचालन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि विभागीय कार्यवाही का विधिवत संचालन कर 60 दिनों के अंदर जाँच प्रतिवेदन भेजी जाय।

अपर समाहर्त्ता—सह—संचालन पदाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक 179/रा0गो0 दिनांक 15.12.2011 द्वारा मो0 उमैर, राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय, रहिका के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संपन्न करने के उपरान्त अभिलेखबद्ध जाँच प्रतिवेदन अपने मंतव्य के साथ भेजी गयी। उनके द्वारा दिनांक 14.12.2011 को अंतिम सुनवाई करते हुये अभिलेखबद्ध जाँच प्रतिवेदन में आरोप, आरोपी का स्पष्टीकरण तथा उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्य एवं संचालन पदाधिकारी का मंतव्य निम्न प्रकार अंकित किया गया है :—

आरोप संख्या—1

श्री गणेश मंडल, पिता—स्व0 सत्यदेव मंडल, ग्राम—कैटोला, पो0— शम्भुआर, अंचल—रहिका, जिला—मधुबनी के द्वारा दिनांक 14.12.2010 को उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार, सदर, मधुबनी के समक्ष एक आवेदन दिया गया कि अंचल रहिका, हल्का सं0—7, मौजा—सलेमपुर का 5 (पाँच) केवाला का वर्ष 2006—2007 में आपके द्वारा दाखिल—खारिज कर जमाबन्दी संख्या—492 कायम कर रसीद सं0—107093 निर्गत किया गया। जब आवेदक द्वारा वर्ष 2010—11 के वर्तमान कर्मचारी श्री त्रिवेणी झा के पास अद्यतन रसीद कटवाने के लिये गये तो श्री झा द्वारा आवेदक को बताया गया कि आपके द्वारा उक्त प्रासंगिक जमाबन्दी कायम नहीं किया गया है, फलस्वरूप श्री झा द्वारा आवेदक को रसीद निर्गत नहीं किया गया इसकी जाँच के क्रम में श्री त्रिवेणी झा, राजस्व कर्मचारी द्वारा लिखित आवेदन दिया कि जमाबन्दी नम्बर 492 आपके द्वारा कायम नहीं किया गया है। जिसकी पंजी—।। का अवलोकन उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार, सदर, मधुबनी द्वारा भी किया गया।

पर रखकर अपनी इच्छानुसार कार्य करने की प्रवृति स्पष्ट होती है। जो सरकारी सेवकों के लिये एक अपराध है।

आरोप संख्या–3

इसी प्रकार अन्य आम जनता के साथ भी आपका इसी तरह का कृत्य किया गया हो संभावित आचरण से इनकार नहीं किया जा सकता है। जिसमें सुमन कुमार झा, पे0 स्व0 फेकन झा, ग्राम–सोहराई, थाना–सकरी, अंचल–पंडौल में भी आपके विरूद्ध दिनांक 18.06.2011 को एक आवेदन दिया गया है कि वर्ष 2005–06 में खाता नम्बर–71, खेसरा नम्बर–146, रकवा–3.19 एवं खाता नं0–25, खेसरा नम्बर–418, रकवा–1.12 का जाली रसीद काटकर दिया है (*आवेदन पत्र संलग्न*)।

आरोप का स्पष्टीकरण :–

कंडिका 1 एवं 2 के अनुसार।

उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्य :–

कंडिका 1 एवं 2 के अनुसार।

आरोप संख्या–4

इस प्रकार आप हल्का नं0–7 मौजा–सलेमपुर में जमाबन्दी संख्या–492 गलत कागजी कायम कर वर्ष 2006–07 में रसीद संख्या–107093 निर्गत कर सरकारी राशि का गबन कर बिहार सेवा संहिता के विरूद्ध आचरण कर व्यक्तिगत लाभ के लिये सरकारी राशि का दुरूपयोग किया गया है।

आरोप का स्पष्टीकरण :–

कंडिका 1 एवं 2 के अनुसार। मो0 उमैर ने अपने स्पष्टीकरण के अंतिम कंडिका में लिखा है कि मेरी सेवा अब सिर्फ चार महिने रह गया है। अतः स्पष्टीकरण से मुक्त किया जाय।

उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्य :–

कंडिका 1 एवं 2 के अनुसार।

संचालन पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन/मंतव्य :–

आरोपी कर्मचारी के विरूद्ध आरोप यह है कि उन्होंने जमाबन्दी नम्बर–492 पर रसीद निर्गत किया और यह जमाबन्दी नम्बर जमाबन्दी पंजी में दर्ज नहीं किया गया। जबकि यह दाखिल–खारिज के आधार पर अभी नहीं किया गया और कर्मचारी ने अपने मनमाना रवैया प्रदर्शित करते हुये गलत जमाबन्दी नम्बर देते हुये रसीद निर्गत कर दिया। अगर कर्मचारी का स्पष्टीकरण थोड़ी देर के लिये मान भी लिया जाय कि भीड़ में उन्होंने रसीद निर्गत किया, जमाबन्दी पंजी नहीं चढ़ा सके तो दाखिल–खारिज के आधार पर शुद्धि पत्र में प्रविष्टि के पश्चात भी जमाबन्दी में दर्ज किये जाने की कार्रवाई नही की गयी।

जहाँतक आरोप संख्या–2 का प्रश्न है की नजारत में राशि जमा नहीं किया गया के लिये उक्त वर्ष का 3A, 3AA की जाँच भूमि सुधार, उप समाहर्त्ता अथवा अंचल अधिकारी द्वारा नहीं किया गया। इसकी जाँच के बाद ही राशि गवन का मामला प्रमाणित/अप्रमाणित हो सकता है।

उपरोक्त आरोपों के विरूद्ध दिये गये स्पष्टीकरण पूर्णतः असंतोषजनक एवं भ्रामक है। कार्य की अधिकता जमाबन्दी कायम कर कहीं आरे नहीं आता है। इसलिये आरोप शत्–प्रतिशत प्रमाणित है।

होकर बिहार पेंशन नियमावली–1950 के नियम 43(बी) के तहत संचालित करने एवं अंतिम आदेश पारित करने का निर्णय लिया गया।

संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता, मधुबनी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर मो0 उमैर सेवानिवृत्त राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय, रहिका, ग्राम–औंसी, थाना–विस्फी, जिला–मधुबनी से लिखित अभ्यावेदन इस कार्यालय के ज्ञापांक 1688/जि0स्था0 दिनांक 13.10.2014 द्वारा मांग की गयी।

उक्त पत्र के आलोक में मो0 उमैर सेवानिवृत्त राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय, रहिका द्वारा दिनांक 07.11.2014 को संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन पर लिखित अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा उल्लेखित किया गया है कि :–

1– आरोप संख्या–1 के सम्बन्ध में सादर सूचित करना हैं कि संचालन पदाधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत मेरा स्पष्टीकरण पूर्णतः वास्तविकता पर आधारित है। श्री गणेश मंडल, पे0–स्व0 सत्यदेव मंडल, ग्राम–कैटोला, पो0–शम्भुआर द्वारा शिविर न्यायालय में दाखिल–खारिज हेतु आवेदन किया गया। शिविर में अत्यधिक भीड़ रहने के कारण राजस्व वसूली के हित में जमाबंदी संख्या–492 कायम कर रसीद निर्गत किया गया और अत्यधिक भीड़ होने के फलस्वरूप भूलवश तत्काल उक्त आशय की प्रविष्टि रजिस्टर–।। पर दर्ज नहीं कर सका। मेरे द्वारा उक्त दाखिल–खारिज का प्रस्ताव बनाकर अंचल कार्यालय, रहिका में जमा कर दिया गया था। इस बीच मेरे स्थानान्तरण राजनगर अंचल हो जाने के कारण उसके फलाफल से अवगत नहीं हो सका। इसमें मेरी कोई गलत मंशा नहीं थी।

2– आरोप संख्या–02 के संदर्भ में सादर सूचित करना है कि मेरे द्वारा अंचल कार्यालय, रहिका द्वारा निर्गत रसीद वही से ही रसीद निर्गत किया गया। वित्तीय वर्ष 2006–07 में मेरे द्वारा वसूल की गयी पूरी राशि अंचल नजारत में जमा कर दी गयी, जिसमें प्रश्नगत वसूल राशि भी सम्मिलित है। अतः यह आरोप तथ्य से परे है कि मेरे द्वारा जान–बूझ कर अपना निजी स्वार्थ सिद्ध करने हेतु सरकारी राशि का गबन नहीं किया गया है, जबकि मेरे द्वारा वसूली गयी राजस्व की राशि अंचल नजारत में जमा कर दिया गया।

3– आरोप संख्या–03 के संदर्भ में सादर सूचित करना है कि मेरे द्वारा कभी भी जाली रसीद निर्गत नहीं किया गया। जो भी वसूली की गयी अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत रसीद वही पर ही की गयी एंव सम्बद्ध राशि अंचल नजारत में जमा कर दी थी।

4– आरोप संख्या–04 के संदर्भ में भी यथा आरोप सं0–03 का स्पष्टीकरण ही ध्यातव्य है।

अतः सादर निवेदन है कि मेरे द्वारा कभी भी धोखे से निजी स्वार्थवश राज्य सरकार को आर्थिक हानि पहुँचाने का प्रयास नहीं किया गया। मैं दिनांक 31.3.2012 को सेवानिवृत हो चूका हूँ। अधपर्यन्त मैं सेवानिवृत लाभों से वंचित हूँ।

अतः श्रीमान् से सविनय निवेदन है कि मेरे स्पष्टीकरण पर सहानभूतिपूर्वक विचार करते हुए मूझे स्पष्टीकरण एंव विभागीय कार्यवाही से मुक्त करने की महती कृपा की जाय।

विभागीय कार्यवाही पर अंतिम निर्णय लिये जाने के पूर्व जमाबंदी सुधार पर वर्तमान स्थिति की जानकारी की आवश्यकता महसूस होने के फलस्वरूप इस कार्यालय के पत्रांक 974/जि0स्था0, दिनांक 18.5.2016 द्वारा अंचल अधिकारी, रहिका से उक्त जमाबंदी में सुधार हुआ है अथवा नहीं के सम्बन्ध में स्पष्ट जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी।

इस बीच शाहिदा प्रवीण, पति– मो0 उमैर, सेवानिवृत राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय, रहिका, ग्राम–औसी बिचलाटोला, पो0–औंसी बभनगावॉ, भाया–केवटी रनवे, प्र0–विस्फी,

अशोभनीय और इनके द्वारा स्थापित कार्य प्रणाली के विपरित कार्य किया गया है। इनका यह कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली–1976 के नियम–3(1) में निहित निर्देशों का पूर्ण उल्लंघन है। एतद् सम्बन्धी उपरोक्त विवेचित कृत के लिये इन्हें दंडित किया जाना आवश्यक है।

अतएव उपरोक्त प्रमाणित आरोपों के लिये मो0 उमैर, सेवानिवृत्त (31.03.2012) राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय, रहिका को सम्यक विचारोपरान्त बिहार पेंशन नियमावली–1950 के नियम–43(बी0) में निहित प्रावधानानुसार मैं गिरिवर दयाल सिंह, भा0प्र0से0, जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता, मधुबनी इन्हें भूतलक्षी प्रभाव से चेतावनी का दंड देता हूँ। इस आशय की प्रविष्टि मो0 उमैर के सेवापुस्त में लाल स्याही से अंकित की जायेगी। साथ ही विभागीय कार्यवाही की प्रक्रिया समाप्त की जाती है।

सभी सम्बद्ध को सूचित करें।

हस्ता0—
जिला पदाधिकारी,
मधुबनी।

ज्ञापांक 383 /जि0स्था0, मधुबनी, दिनांक 17 वीं मार्च, 2017 ई0।

प्रतिलिपि : मो0 उमैर, सेवानिवृत (31.03.2012) राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय, रहिका, स्थायी पता– ग्राम–औसी बिचलाटोला, पो0–औंसी बभनगावॉ, भाया–केवटी रनवे, प्र0–विस्फी, जिला–मधुबनी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अंचल अधिकारी, रहिका/राजनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, मधुबनी/झंझारपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मधुबनी/बेनीपट्टी/जयनगर/ फुलपरास/झंझारपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अपर समाहर्त्ता, मधुबनी/उप विकास आयुक्त, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मधुबनी/प्रभारी आई0टी0 मैनेजर, मधुबनी को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

16/3/17
जिला पदाधिकारी,
मधुबनी।